



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165301

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8704/2026

सोनूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : नदीम, राजीव सिसौदिया, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, उमैर महमूद

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेर महमूद, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक की ओर से यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना किरतपुर, जिला बिजनौर में पंजीकृत अपराध संख्या 238/2025, बीएनएस की धारा 70(1), 351(3) के तहत जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता लगभग 24 साल की बालिग महिला है और उसकी मेडिको-लीगल रिपोर्ट (चोट रिपोर्ट) रेप के आरोप की पुष्टि नहीं करती है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट नहीं पाई गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी अरमान और अजीम को इस कोर्ट की ही एक अन्य बेंच ने ज़मानत दे दी है, जबकि आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 02.11.2025 से जेल में बंद है। यह भी कहा गया है कि आवेदक भरोसा दिलाता है कि ज़मानत मिलने पर वह मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित होने के कारण, विचारण के जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत की अर्जी का विरोध किया है और कहा है कि पीड़िता एक मूक-बधिर लड़की है। इंटरप्रेटर(व्याख्याता) की मदद से बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें उसने बताया है कि आवेदक और अन्य आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया।

5. इसके जवाब में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपियों की शिनाख्त के लिए कोई शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई है।

6. एफआईआर के अनुसार, कहा गया है कि आरोपी और तीन अन्य आरोपियों ने पीड़िता को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई। पीड़िता एक मूक-बधिर लड़की है और एक इंटरप्रेटर की मदद से बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें उसने बताया है कि आरोपी और अन्य आरोपियों ने उसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



साथ गैंग रेप किया। हालाँकि, पीड़िता की मेडिको-लीगल रिपोर्ट रेप के आरोप का समर्थन नहीं करती है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट नहीं पाई गई है। इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों अरमान और अजीम को इस कोर्ट की समकक्ष पीठ ने ज़मानत दे दी है, और आरोपी, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 02.11.2025 से जेल में बंद है।

7. समस्त तथ्यों, प्रकृति तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. यह आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक सोनू को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय के संतोषजनक समाधान हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करे, साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iv) आवेदक को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विचारण न्यायालय में गवाहों के उपस्थित होने पर वह साक्ष्य की निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।

(v) आवेदक को तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत अर्जी पर फैसला करने के मकसद तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

06 अगस्त 2026

मधुरिमा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”